न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 63/2025

जीसीएमएस नं. :– 2025/93

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थी :–

1. नेमीचंद पुत्र मोहनराम
2. श्रवणराम पुत्र मोहनराम
3. राजूराम पुत्र मोहनराम
4. बिदामी पत्नि मोहनराम

जातियान बावरी निवासीयान जाटियावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 (131ब) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : दर्ज तारीख :– 21.04.2025

श्री अभिषेक कच्छावाह अधिवक्ता प्रार्थी।

तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश दिनांक : 8/12/2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 (131ब) राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम जाटियावास की सरहद में बुचकला से कूड़ जाने वाले गै.मु.कटाणी रास्ता के चिपते प्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 659 रकबा 3.7895 हैक्टयर आयी हुई है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2081 सलग्न पेश है। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी खंसरा नम्बर 659 रकबा 3.7895 हैक्टयर भूमि के पुराने खसरा नम्बर 386/1 रकबा 3.7457 हैक्टयर गै.मु. कटाणी रास्ता के चिपते दक्षिण तरफ स्थित है तथा खसरा नम्बर 386/1 राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम सुदा है जो ग्राम जाटियावास की सीमा में बुचकला से कूड़ जाने वाले गै. मु.कटाणी रास्ता के चिपते दक्षिण तरफ स्थित है। प्रार्थी ने दिनांक 01/04/2025 को किसान केडिट कार्ड बनाने के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व ट्रेस नक्शा की की नकल देने हेतु कहा तो हल्का पटवारी ने कहा कि भू–प्रबन्द विभाग जयपुर द्वारा नये सर्वेक्षण के उपरान्त खसरा नम्बर 386/1 के नये खसरा नम्बर 659 की तरमीम बुचकला से कूड़ जाने वाले गै.मु.कटाणी रास्ता के चिपते दक्षिण तरफ नहीं कर सेवन से त्रुटीवस खसरा नम्बर 658 के दक्षिण तरफ गलत रूप से दर्शायी गयी है। जबकि खसरा नम्बर 658 प्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 659 रकबा 3.7895 हैक्टयर के दक्षिण तरफ करनी चाहीये इसपर प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर अपनी वादग्रस्त आराजी की तरमीम दुरस्ती हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया इसपर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

अप्रार्थी ने श्रीमान न्यायायल हाजा से ही तरमीम दुरस्ती हेतु कहा इसलिए श्रीमान न्यायालय हाजा में उक्त प्रार्थना पत्र तरमीम दुरस्ती हेतु पेश करना पड रहा है। ग्राम जाटियावास की सरहद में बुचकला से कूड़ जाने वाले गै.मु.कटाणी रास्ता के चिपते दक्षिण तरफ प्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 659 रकबा 3.7895 हैक्टयर आयी हुई है। लेकिन सर्वेक्षण के पश्चात पुराने खसरा नम्बर 386/1 के नये खसरा नम्बर 659 की तरमीम बुचकला से कूड़ जाने वाले गै.मु. कटाणी रास्ता के चिपते दक्षिण तरफ नही कर सेवन से त्रुटीवस खसरा नम्बर 658 के दक्षिण तरफ गलत रूप से दर्शायी जबकि खसरा नम्बर 658 प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 659 रकबा 3.7895 हैक्टयर के दक्षिण तरफ करनी चाहीये इसलिए बुचकला से कूड़ जाने वाले गै. मु.कटाणी रास्ता के चिपते दक्षिण तरफ प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 659 की तरमीम दुरस्त कर खसरा नम्बर 659 के दक्षिण तरफ 658 तरमीम कर तरमीम दुरस्ती आदेश फरमावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि जाटियावास की सरहद में बुचकला से कूड़ जाने वाले गै.मु.कटाणी रास्ता के चिपते दक्षिण तरफ प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 659 रकबा 3.7895 हैक्टयर व खसरा नम्बर 659 के दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 658 तरमीम दुरूस्त कर तरमीम किया जाने का आदेश फरमावे। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के हक में अता फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि राजस्व अभिलेख ग्राम जाटियावास के खसरा नम्बर 659 रकबा 3.7895 नेमीचन्द, राजुराम, श्रवणराम पिता मोहनराम, बिदामी पत्नि मोहनराम, बस्ताराम पुत्र ऊंकारराम ज़ाति बावरी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज हैं। राजस्व नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शे में दर्ज स्थिति संलग्न मौका फर्द में दर्शायी गयी जो इस निर्णय का अंग होगा। वर्तमान में खसरा नम्बर 658 एवं 659 की मौका स्थिति भिन्न हैं। राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 659 के स्थान पर 658 एवं 658 के स्थान पर 659 किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दर्ज किया है। उपरोक्त विवरण राजस्व अभिलेख, मौका स्थिति अनुसार राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 658 के स्थान पर खसरा नम्बर 659 एवं 659 के स्थान पर 658 दर्ज किया जाना उचित हैं। खातेदारो का विवरण खसरा नम्बर के साथ साथ परिवर्तन हो जायेगा। उक्त शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम जाटियावास की

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सरहद में बुचकलां से कूड़ जान वाले गै.मु.कटाणी रास्ता से चिपते दक्षिण तरफ प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरानम्बर 659 रकबा 3.7895 हैक्टयर व खसरा नम्बर 659 के दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 658 तरमीम दुरूस्त कर तरमीम किया जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में राजस्व अभिलेख, मौका स्थिति अनुसार राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 658 के स्थान पर खसरा नम्बर 659 एवं 659 के स्थान पर 658 दर्ज किया जाना उचित हैं। खातेदारो का विवरण खसरा नम्बर के साथ साथ परिवर्तन हो जायेगा। उक्त शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की हैं। इस सम्बन्ध में अनापति जाहिर की हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम जाटियावास के राजस्व अभिलेख, मौका स्थिति अनुसार राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 658 के स्थान पर खसरा नम्बर 659 एवं 659 के स्थान पर 658 दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे एवं खातेदारो का विवरण खसरा नम्बर के साथ साथ परिवर्तन हो जायेगा। अतः उक्त शुद्धि को दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 08/12/2025 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर